न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 06/2024

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. गजानन्द पुत्र घासी
2. रामराय पुत्र घासी
3. कमला पत्नि छाजू
4. कालू पुत्र छाजू
   समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम खैरवाल तहसील दौसा जिला दौसा
5. विश्राम नाबालिग पुत्र छाजू जरिये संरक्षक वाद मित्र माता कमला बेवा छाजू जाति गुर्जर निवासी ग्राम खैरवाल तहसील दौसा जिला दौसा

...अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा
2. सीताराम पुत्र रामप्रताप जाति गुर्जर निवासी ग्राम खैरवाल तहसील व जिला दौसा

...रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध आदेश व रिपोर्ट नायब तहसदीलदार दौसा दिनांक 21.6.2024

उपस्थित : 1. श्री अविनाश नागर, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता ।
3. श्री उम्मेद सिंह गुर्जर, अधिवक्ता रेस्पों. सं0 2 की ओर से।

निर्णय — दिनांक 09.10.2024

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने नायब तहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 21.6.2024 को ग्राम खैरवाल तहसील दौसा के खसरा नंबर 800 के सीमाज्ञान कार्यवाही जो कि राजस्व टीम के द्वारा किया गया था। उक्त सीमाज्ञान कार्यवाही से व्यथित होकर अपीलांट्स ने यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि ग्राम खैरवाल में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 835 आदि के खातेदार प्रार्थीगण/अपीलांट है।
   a. पडौसी खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने एक सरासर असत्य प्रार्थना पत्र दिनांक 7–5–2024 को तहसीलदार जी दौसा को इस आशय का पेश किया कि कुछ व्यक्तियो ने रास्ते की भूमि को बन्द कर तारबंदी कर ली है अतः सीमाज्ञान करवाकर अतिक्रमण हटाया जावे।
   b. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नही किया कि किसने तारबंदी कर ली तथा कब कर ली तथा इस ... प्रकार नाप की जावे तथा गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर ... कहां से चालू होता है तथा कहां तक जाता है। इन सभी तथ्यों का ... संख्या 2 द्वारा पेश किया गया यह प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर ही निरस्त ... है।
   c. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सीताराम जिस खसरा नम्बर 800 का उल्लेख कर रहा है वह कोई सार्वजनिक रास्ता नही है, तथा उस पर अपीलांट ने कभी भी कोई अतिक्रमण नही किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.01.08 12:36:27 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

d. खसरा नम्बर 800 के दक्षिण की ओर अपीलांट की खातेदारी की भूमि है जो अपीलांट की पैत्रिक है। अपीलांट्स की खातेदारी भूमि के चारो तरफ मेडबंदी व तारबंदी अपीलांटस के पूर्वजो के जमाने से लगभग 100 वर्षो से अधिक समय से बनी हुई है और इस पर अपीलांट्स व उनके पूर्वज काबिज होकर शान्तिपूर्वक काश्त करते आ रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 भू माफिया एवम् चतुर चालाक व्यक्ति है तथा उसके द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर अपीलांट्स जो कि प्रभावित पक्षकार है, उन्हे कोई नोटिस दिये बगैर ही उनकी अनुपस्थिति में कोई नाप किए बिना ही एक रिपोर्ट तैयार कर पेश कर दी जो सरासर अवैध होने के कारण निरस्तनीय है।

e. अपीलांट्स की मेडबंदी व तारबंदी जो 100 साल से अधिक समय से हो रही है जो आज तक बनी है जबकि इस अवैध रिपोर्ट में प्रार्थीगण के विरुद्ध रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण का सरासर अवैध आरोप लगाया गया तथा उस तथाकथित अतिक्रमण को हटाने का सरासर गलत उल्लेख किया है अतः रिपोर्ट निरस्तनीय है।

f. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सीताराम वगैरा. प्रार्थी से द्वेषभाव रखते है तथा आये दिन झगडा करते रहते है इस बाबत भी अपीलांट्स ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 आदि के खिलाफ पुलिस थाना सदर दौसा में रिपोर्ट की जिस पर जांच चल रही है तथा अपीलांट ने अपनी उवक्त खातेदारी की भूमि की सही नाप कर पत्थरगढी करने का प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय में पेश कर रखा है वह भी विचाराधीन है। इसी दौरान की गई यह एकपक्षीय कार्यवाही निरस्तनीय है।

g. सीताराम द्वारा दिया गया यह प्रार्थना पत्र उस पर दिया गया आदेश व समस्त कार्यवाहियां अपीलांट्स को नोटिस दिये बगैर उनके पक्ष मे सुने बिना तथा उनकी अनुपस्थिति मे विधिवत नाप न करना, ये सब कार्यवाहियां प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुप्रसिद्ध रूलिंग ए.आई.आर. 1978 एच.सी. 597 पारित कर निर्देशित कर रखा है कि न्यायिक प्रक्रिया में ही नही बल्कि प्रशासनिक कार्यो में भी पीडित पक्षकार को नोटिस देकर पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जावे इसके अभाव में की गई कार्यवाही अवैध व निरस्तनीय है। अपीलांट ने अपनी उवत्त खातेदारी की भूमि की सही नाप कर पत्थरगढी करने का प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय में पेश कर रखा है वह भी विचाराधीन है। इसी दौरान की गई यह एकपक्षीय कार्यवाही निरस्तनीय है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

h. खसरा नम्बर 800 जिसे अप्रार्थी संख्या 2 रास्ता बताता है वह रास्ता अपीलांट्स की खातेदारी भूमि 835 से सटवा प्रारम्भ होकर अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 822 व 821 से सटकर रेस्पोडेन्ट की कृषि भूमि खसरा नम्बर 804 तक ही जा रही है।

i. नक्शा ट्रेस के अवलोकन से स्पष्ट है कि रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 800 सिर्फ अपीलांट्स की खातेदारी भूमि की सीमा तक ही है। तथा सिर्फ अपीलांट्स के उपयोग उपभोग का रास्ता है जिसमें अतिक्रमण का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है। अपीलांट्स की कृषि भूमि से [illegible] अतिक्रमण बाबत इस भूमि के आस पास के खातेदारो को कभी भी कोई शिकायत व आपत्ति नही की गई न ही इस रास्ते के आस पास के किसी भी कृषक को नोटिस दिया गया तथा न ही उनकी उपस्थिति में कोई कार्यवाही की गई। अतः यह समस्त एक पक्षीय कार्यवाही होने के कारण निरस्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.01.08 12:36:27 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

j. न्याय का मूलभूत सिद्धान्त है कि प्रभावित व्यक्ति को नोटिस दिये बिना ही कोई कार्यवाही व की जाये परन्तु तहसीलदार जी ने अपीलांट्स को सीमाज्ञान कार्यवाही पूर्व कोई नोटिस ही नही दिया। सीमाज्ञान के समय अपीलांट्स को नही बुलाया तथा न ही नाप की कार्यवाही की गई बल्कि आश्चर्यजनक है कि इस रिपोर्ट में किसी भी नापी गई दूरी की माप ही अंकित नही की गई जिसका स्पष्ट प्रमाण है कि इस रिपोर्ट पर अपीलांट्स के कोई हस्ताक्षर ही नही है अतः यह रिपोर्ट व सीमाज्ञान के संबंध में की गई समस्त कार्यवाही निरस्तनीय है। समस्त कार्यवाही अपीलांट्स को नोटिस दिये बिना तथा अवैध रूप से अपीलांट्स की तारबंदी हटाने बाबत भी आदेश दिया गया है। इस समस्त कार्यवाही व सीमाज्ञान की कार्यवाही से अपीलांट्स प्रभावित है। क्योकि अपीलांट्स को बेदखल कर उसकी तारबंदी हटाने का आदेश व कार्यवाही बिना अपीलांट्स को सुनवाई किये बिना दिया है। अतः अपीलांट्स प्रभावित व्यक्ति है अतः धारा 96 की अनुमति से अपील पेश की जा रही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 21.6.2024 को की गई सीमाज्ञान कार्यवाही एवं इस संबंध में की गई समस्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि दिनांक 21.6.2024 को राजस्व टीम के द्वारा ग्राम खैरवाल के खसरा नंबर 800 किस्म गै0मु0 रास्ता के सीमाज्ञान हेतु नायब तहसीलदार दौसा की अध्यक्षता में गठित टीम के साथ मय पुलिस जाब्ता के आराजी भूमि का सीमाज्ञान किया गया। सीमाज्ञान किया जाकर खसरा नंबर 800 की भूमि गै0मु0 रास्ता पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाया गया। अपीलांट द्वारा गलत आधारों पर यह अपील प्रस्तुत की गई है जिसे निरस्त फरमाई जावे।

5. अधिवक्ता रेस्पों. सं0 2 ने बहस में कथन किया कि अपील में वर्णित भूमि खसरा नंबर 800 रकबा 0.09है. गै.मु.रास्ता में अपीलांट का कोई अधिकार नहीं है। उक्त खसरा नंबर गै.मु. रास्ते की सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि है जो सरकारी खाते में दर्ज है। अपीलांट का खसरा नंबर 800 गै.मु.रास्ते की भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलांट्स को राजकीय गै0मु0रास्ता की भूमि खसरा नंबर 800 रकबा 0.09है. पर तारबंदी की जाकर उसे अपनी खातेदारी भूमि में मिलाने व जोत निकालने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलांट उक्त भूमि पर एक अतिकमी है और अतिकमी होने के कारण पिछले वर्ष भी बेदखल कर पैनल्टी आरोपित की गई थी। अपीलांट द्वारा पुनः मई 2024 में उक्त गै0मु0 रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर तारबंदी की गई जिसे दिनांक 21.6.2024 को नायब तहसीलदार दौसा द्वारा अतिक्रमण हटवाया गया व रास्ता चालू करवाया गया। अपीलांट आदतन अपराधी है जिन्होंने पुनः तारबंदी कर रास्ता बंद कर दिया। अपीलांट आदतन अतिकमी है जो कि पीडित पक्षकार व प्रभावित पक्षकार की श्रेणी में नहीं आता है ना ही माननीय न्यायालय से अपील प्रस्तुत करने का हकदार है। अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। सीमाज्ञान व अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रशासनिक कार्यवाही है। अतः अपील अपीलांट मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की [illegible]। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.01.08 12:36:27 IST
Reason: SelfAttested

7. उपरोक्त बहस के आधार पर [illegible] बिन्दु है

a. कि क्या रेस्पोडेन्ट संख्या 2 [illegible] खसरा नम्बर 800 का उल्लेख कर रहा है वह कोई सार्वजनिक रास्ता नही है, तथा उ[illegible] पर अपीलांट ने कभी भी कोई अतिक्रमण नही किया। क्या उक्त रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 800 सिर्फ अपीलांट्स की खातेदारी भूमि की सीमा तक ही है। तथा सिर्फ अपीलांट्स के उपयोग उपभोग का रास्ता है जिसमें अतिक्रमण का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

b. क्या अपीलांट ने अपनी उवक्त खातेदारी की भूमि की सही नाप कर पत्थरगढी करने का प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय में पेश कर रखा है वह भी विचाराधीन है अतः इसी दौरान की गई यह एकपक्षीय कार्यवाही निरस्तनीय है।

c. क्या प्रभावित व्यक्ति को नोटिस दिये बिना ही कार्यवाही की गई है अतः कार्यवाही निरस्तनीय है।

8. जहॉं तक प्रथम विचारणीय बिन्दु का प्रश्न है तो इस संबंध में जमाबंदी संवत 2076 (वर्ष 2019) से स्थाई जमाबंदी में खसरा नंबर 800 गै0मु0रास्ता राजस्थान सरकार के नाम खाता सं01 में दर्ज है। यह सर्वविदित है कि खाता सं. 1 में दर्ज राजस्थान सरकार के नाम भूमि गै0मु0 किस्म अर्थात जो कि काश्त के काबिल नहीं है एवं किस्म अनुसार सार्वजनिक उपयोग हेतु होती है जिस पर समस्त आम जन का बराबर का एकाधिकार उपयोग हेतु होता है। खाता सं0 1 की भूमि के संबंध में यह कभी नहीं कहा जा सकता कि वह भूमि किसी व्यक्ति विशेष के उपयोग हेतु ही निश्चित है एवं यदि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा उस पर अपना अनाधिकृत रूप से अधिकार जताया जाता है तो धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है। अतः अपीलांट के इस बिन्दु से सहमत नरहीं है कि उक्त भूमि सार्वजनिक रास्ता न होकर रेस्पों0 सं0 2 के जाने हेतु भूमि थी। उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति विशेष का आगमन नहीं रोका जा सकता है।

9. जहॉं तक द्वितीय बिन्दु का प्रश्न है तो अपीलांट द्वारा पत्थरगढी के आवेदन का तहसीलदार द्वारा की जा रही धारा 91 की कार्यवाही से कोई संबंध नहीं है एवं दोनों पृथक–2 कार्यवाही है। अपीलांट द्वारा पत्थरगढी की पत्रावली यदि प्रस्तुत की गई है तो वह स्वयं की भूमि से संबंधित है एवं तहसीलदार द्वारा की जा रही कार्यवाही धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित है। अतः हम सहमत नहीं है कि पत्थरगढी की कार्यवाही विचाराधीन रहते हुए धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती थी, ना ही ऐसा नियमों में कोई प्रावधान है।

10. जहॉं तक प्रभावित व्यक्ति को नोटिस देने या न देने के संबंध में विचारणीय बिन्दु है तो इस संबंध मे हम देखते है कि तहसीलदार द्वारा धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही में अपीलांट (जो कि उक्त पत्रावली में अप्रार्थी थे) को तामील नियमानुसार उनकी अनुपस्थिति होने के कारण चस्पानगी के रूप में दो व्यक्तियों को स्वतंत्र गवाह के समक्ष करवाये गये थे। हमने मौका पर्चा सीमाज्ञान दिनांक 21.6.2024 का अवलोकन किया जिसमें नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में खसरा नंबर 834 गै.मु.चाह, खसरा नंबर 836 गै.मु.चाह, खसरा नंबर 826 गै.मु0चाह, खसरा नंबर 845 गै.मु.चाह, खसरा नंबर 846 गै0मु0चाह से जरीब चलाकर खसरा नंबर 800 गै0मु0रास्ते का सीमाज्ञान किया गया है। जिसके आधार पर पटवारी द्वारा धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत तहसीलदार न्यायालय में कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। यहॉं यह उल्लेखनीय है कि यह रिपोर्ट पुनः अतिक्रमण कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण के रूप में दर्ज करने हेतु प्रस्तुत की गई। अतः हम अपीलांट के इस कथन से सहमत नहीं है कि उन्हें बिना सुनवाई का अवसर दिये यह कार्यवाही की गई है।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर [illegible] की जाती है। अधीनस्थ तहसीलदार दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन रिपोर्ट दिनांक [illegible]024 द्वारा सीमाज्ञान आदेश एवं निर्णय दिनांक 28.8.2023 मु0नं0 24[illegible] अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति स[illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। पत्रावली बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख [illegible]ार हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.01.08 12:36:27 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर दौसा
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 09 अक्टूबर, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस के भीतर की जा सकेगी।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.01.08 12:36:27 IST
Reason: SelfAttested